



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1278

बिलासपुर, दिनांक 09-5-2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

आरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for modification of 220 KV Transmission Line, new BG Electrified East West Rail Corridor from Gevra road-Pendra road Railway line between location no. 278-281 2.128 ha.

संदर्भ :- वनमण्डलाधिकारी मरवाही का पत्र क्र./तक./495, दिनांक 20.04.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (सुधार) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा ने पेण्ड्रा वन परिक्षेत्र में प्रस्तावित रकबा 2.128 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव तथा डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

तत्संबंध में उक्त प्रस्ताव का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपरांत चेकलिस्ट के बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

- बि.क्र. 1** आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 14) 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. वन भूमि में व्यपवर्तन कार्य हेतु मांग की गई है।
- बि.क्र. 2** प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 20 तक)- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध-व.सं.अ.) छ.ग. के पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-479-182/1567 दिनांक 26.08.2020 द्वारा रजिस्ट्रेशन कोड - FP/CG/TRANS/43092/2019 आंबटित किये गये की छायाप्रति संलग्न है।
- बि.क्र. 3** वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 21) मरवाही वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र पेण्ड्रा के संरक्षित वन रकबा 2.128 हे. वनभूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है।
- बि.क्र. 4** गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 22 से 23 तक) प्रस्तावित परियोजना में गैर वनक्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः जानकारी निरंक है।
- बि.क्र. 5** प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्रीफ 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 24)- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र 1:50000 स्केल पर संलग्न है।
- बि.क्र. 6** वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप प्रस्ताव पृष्ठ 25 में संलग्न है।
- बि.क्र. 7** प्रपत्र-4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 26 से 32 तक)- प्रपत्र-4 में परियोजना में कार्य की लागत 3.85 करोड़ बताया गया है यूजर एजेंसी ने कथन किया है कि उद्देश्यों की पूर्ती सभी विकल्पों का परीक्षण कर किया गया है तथा प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र की मांग की गई।
- बि.क्र. 8** प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप में संलग्न हैं (प्रस्ताव पृष्ठ 33 से 34 तक)- चार पृष्ठीय टीप आवेदक द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि नये निर्माणाधीन ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना (गेवरारोड से पेण्ड्रारोड) में उक्त ट्रांसमिशन लाईन प्रभावित कर रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास में (माल एवं यात्री सेवाओं)

बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुये उक्त ट्रांसमिशन लाईन को अन्य स्थल पर व्यपवर्तित किया जावेगा जिससे आम जनता को बेहतर रेल सुविधा एवं विद्युत मिल सकेगा।

- बि.क्र. 9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न हैं।(प्रस्ताव पृष्ठ 35)– आवेदक विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जो संलग्न है।
- बि.क्र. 10 न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 36)– आवेदक विभाग द्वारा न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया है, जो संलग्न है।
- बि.क्र. 11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 45 तक) पर्यावरण संरक्षण संबंधी पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में)(प्रस्ताव पृष्ठ 46 से 52 तक)– वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) संलग्न हैं। कुल वृक्ष संख्या 168 है।
- बि.क्र. 13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 53)– संलग्न है।
- बि.क्र. 14 चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मनचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)–राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 54)– संलग्न है।
- बि.क्र. 15 गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 55)– संलग्न है।
- बि.क्र. 16 स्थल विषेश वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 56 से 82 तक)– विस्तृत परियोजना संलग्न है।
- बि.क्र. 17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण (प्रस्ताव पृष्ठ 83 से 84 तक)– संलग्न है।
- बि.क्र. 18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 85 तक)– किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 86 तक)– किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 87)– निरंक है।
- बि.क्र. 21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 88 से 89 तक)– आवेदक विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्र. F No. 11-68/2014-FC dt- 11.07.2014 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि की अनुपलब्धता बाबत राज्य के मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जो संलग्न है।
- बि.क्र. 22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 90 तक)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 23 रिक्लेमेशन प्लान(प्रस्ताव पृष्ठ 91 तक)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 92)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 25 व्यवस्थापन प्लान(प्रस्ताव पृष्ठ 93 तक)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 26 वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)(प्रस्ताव पृष्ठ 94 से 108 तक)– भाग II पर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
- बि.क्र. 27 ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 109 से 114 तक)–व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
- बि.क्र. 28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 115)– अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
- बि.क्र. 29 जिले की कुल वन भूमि (प्रस्ताव पृष्ठ 116 तक)– रकबा 230739.00 हे. विवरण संलग्न है।
- बि.क्र. 30 व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में (प्रस्ताव पृष्ठ 117 तक)– रकबा 865.417 हे., विवरण संलग्न है।
- बि.क्र. 31 व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 118 तक)– रकबा 236.886 हे., विवरण संलग्न है।

- बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 120 तक)– जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 121)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 122 से 131 तक)– जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 132 से 133 तक)– जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 134 से 135)– आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of fund with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 136)– आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 38 A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 137 तक)– इस संबंध में आवेदक विभाग द्वारा दी गई जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 138 तक)– आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 40 Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 139 तक)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 41 पंजीयन क्रमांक-पंजीयन भुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 140 से 143 तक)– जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 144 तक)– जानकारी संलग्न है।
- बि.क्र. 43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनमत प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 145)– आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 44 प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 146 से 16 तक)– संलग्न है।

उक्त प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Parivesh Portal पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण की स्वीकृति के अनुशंसा हेतु प्रस्ताव 06 प्रतियों में संलग्न प्रेषित हैं।

- संलग्न :-
1. परियोजना प्रतिवेदन 06 प्रति
 2. डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट 06 प्रति
 3. प्रपत्र II & III
 4. टाईम लाईन की छायाप्रति

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ.क्र./तक.अधि./ 1279
प्रतिलिपि:-

बिलासपुर, दिनांक 09.5.2023

1. वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही की ओर सूचनार्थ ।
2. कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण) संभाग छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (सुधार) संभाग, छ. ग. रा. वि. पारे. कं. मर्या. कोरबा द्वारा मरवाही वनमण्डल में 220 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में प्रस्तावित रकबा 2.128 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 05/05/2023

(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर